

10/2/25 पचावली पेश हुई। वकूलाय फरीकन उपस्थित।
 वकील वादी/प्रतिवादी ने तलाश जावाब/कालातनामा
 हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है
 जिसल दिनांक 24/2/25 को पेश हो
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ

24-2-25 पचावली पेश हुई। वकूलाय फरीकन उपस्थित।
 वकील वादी/प्रतिवादी ने
 हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है
 जिसल दिनांक 25-3-25 को पेश हो
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ

25/2/25 30/4/25
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ


30/4/25 पचावली पेश। हुडी वकील उद्ययपरा ठण्ठा ठका. से. उत-6 की
 कोर ले जावक प्रकीण पत्र पेश किमा 1, 2, व 7, 8 की
 वड में एकपरीय कार्मवाही हो चुकी हो पचावली अर
 वहात मूस कार्मवाही हेतु दिनांक 16/5/25 को पेश हो
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ

16/5/25 पचावली पेश हुई। वकूलाय फरीकन उपस्थित।
 वकील वादी/प्रतिवादी ने वहरत सा. पत्र
 हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है
 जिसल दिनांक 30/5/25 को पेश हो
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ

30/5/25 पचावली पेश हुडी वकील पराकारान् अ.। वहरत सा. पत्र
 उक्त पत्र हुडी वकील - आवेदन से
 दौराने वहरत मथन मिला कि आवेदकवाण
 आवेदन के एक दिखने की भूमि को
 रूफु बुफु करने पर अमादा है अतः आवेदकवाण
 के विरुद्ध आवेदक निषेधाज्ञा जारी कर इन्हे
 पाबंद मिला जाये। वकील अनावेदकवाण से
 जावाब वहरत से मथन मिला कि आवेदकवाण
 उक्त भूमि के रिकार्ड रवातेदार मिश्रल
 तथा उक्का भौतिक रूप से मज्जा मिश्र
 है अतः अजिली/रिवातेदार रवातेदार य मज्जाधारक

दिनांक
 Cont...
 को-पिका
 जारी
 का

Cont...

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
Cont..	<p>के विरुद्ध अख्यारि निषेधाज्ञा लागू न जारी नही की जा सकी है वदरत का मनन मिला राजा तथा पडावली का अवलोकन मिला गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनाथेदकगण उम्मा शुद्धि के दिनांक 3 रवातेदार मारतका है तथा इनका मज्जा मारत है अतः अनाथेदकगण के विरुद्ध अख्यारि निषेधाज्ञा जारी मिला जाना त्यागोचित नही है फलस्वरूप मा. पत्र अख्यारि निषेधाज्ञा रवाते मिला जाता है तथा दिनांक 9/12/22 को जारी अंतरिम स्वयंसेवा आदेश को रोकेंट मिला जाता है पडावली फेरल शुभा होम 43 नाम से काम है तथा बाद तकमिल जाता फेरल 44 है।</p> <p style="text-align: right;">  ए. सी. ई. एम. (फा. ड.) नवलमंड </p>	